

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.3(6)(4)स्था/पदो./अभि/19/12/15/-12205 जयपुर, दिनांक: 22/12/2023

-:आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(रिव्यू) करने हेतु दिनांक 20.12.2023 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री दिनेश खीवसरा पुत्र श्री सोहन लाल द्वारा निर्धारित समायवधि पश्चात टंकण परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण किये जाने के कारण नियमानुसार इनकी वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ सहायक (वरिष्ठ लिपिक) के पद पर पदोन्नति निरस्त किये जाने के पश्चात, विभागीय पदोन्नति की अनुशंषा पर इनका वर्ष 2020-21 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन निरस्त किया गया है ।

श्री दिनेश खीवसरा का वर्ष 2020-21 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पदोन्नति निरस्त होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री दिनेश खीवसरा द्वारा वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वांछित योग्यता/अनुभव नहीं रखने के कारण पदोन्नति योग्य नहीं पाया है अतः श्री दिनेश खीवसरा पुत्र श्री सोहन लाल को वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दी गई पदोन्नति निरस्त की जाती है ।

साथ ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्व अन्य अनुशंषाओ को यथावत रखा गया है ।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर ।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर ।
03. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
04. समस्त उप निदेशक अभियोजन ।
05. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष ।
06. संस्थापन मंत्रालयिक शाखा (वरिष्ठ), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर ।
07. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref
5219201

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Director
Date: 2023.12.22 17:53:51 IST
Reason: Approved

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर